



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: rocz.lko-mef@nic.in

दिनांक: 03.08.2023

पत्र सं० 8बी/यू०पी०/०६/१४३/२०२२/एफ.सी./२७७

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Road/152381/2022

विषय: जनपद आगरा में चंदौसी-आगरा-तांतपुर कोट मार्ग (एस०एच०-३९) के किमी० ०.२३६ के चैनेज २३५.०३० ग्राम रैना नगर, तहसील खेरागढ़ एवं किमी० सं०-२४५ के चैनेज २४४.०१० ग्राम सरेंधी तहसील खेरागढ़ पर निर्माण खण्ड-२ लोक निर्माण विभाग, आगरा द्वारा राज्य सड़क निधि योजना के अन्तर्गत राज्य मार्ग सं०-३९ की बायीं पटरी पर प्रस्तावित दो ट्रक ले बाई निर्माण कार्य हेतु ०.४०८ हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक सं० : ३४/११-सी-FP/UP/Road/152381/2022, लखनऊ, दिनांक-०६.०७.२०२३

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव(वन), उ०प्र० शासन के पत्रांक पी-१८९/८१-२-२०२२-८००(१७२)/२०२२, दिनांक २४.०६.२०२२ का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, १९८० की धारा (२) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी है।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक १९.०२.२०२३ द्वारा प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी अनुपालना उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या २ पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके-

1. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 0.816 ha. degraded forest land in Agra-Tantpur Road, km. 228, Range Kheragarh, Social Forestry Division Agra at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. **The revised Geo-referenced map shall be uploaded on PARIVESH Portal.**

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, १७, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, १७, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, १७, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।
5. अधिषासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-२ लोक निर्माण विभाग, आगरा।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}